न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 04 / 2019

दीन मोहम्मद पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासी रसूल ग्राम पंचायत गांवडी तहसील कामां जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 17.01.2019 अपील उनवानी सुरेशचन्द बनाम डी.एस.ओ.

निर्णय **दिनांक 19.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17.01.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है। बहस हेतु अपीलान्ट व उनके अभिभाषक को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आये । अतः इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है । पैरोकार रसद की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि सुरेशचन्द उचित मूल्य दुकानदार गांवड़ी तहसील कामां द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण में अनियमिता करने पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के यहां विभागीय जांच विचाराधीन थी । अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था, जो प्रावधानों के विपरीत होने से तहत न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, जो उचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:34 IST
Reason: SelfAttested

हमने पैरोकार रसद की बहस पर म[illegible] की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश [illegible] 10 सीपीसी विचाराधीन विभागीय जांच में पक्षकार बनने से सम्बन्धित है। जब डीलर के [illegible] प्रकरण में विभागीय स्तर से जांच की जा रही है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्र[illegible] में पक्षकार बनने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

01 नियम 10 सीपीसी प्रावधानों के विपरीत होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:34 IST
Reason: SelfAttested